

आदेश

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2023

का.आ 1239(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पी-जाइलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पी-जाइलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. पी-जाइलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) यह 19 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यां का.आ. 3929(अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यां का.आ. 1276(अ) तारीख 23 मार्च, 2022 और संख्यां का.आ. 4140(अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 15th March, 2023

S.O. 1239(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the p-Xylene (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the p-Xylene (Quality Control) Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the p-Xylene (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) It shall come into force on the 19th day of March, 2024”.

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part(2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3929(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 1276(E), dated the 23rd March, 2022 and S.O. 4140(E), dated the 2nd September, 2022.